

प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 04.01.2026

कूटरचित दस्तावेज के द्वारा धोखाधड़ी कर पैसा लेने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव थानाध्यक्ष रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 राम सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 842/2025 धारा 319(2),318(4),338,340(2),61(2),351(3),336(3) भा0न्या0सं0 से संबंधित वांछित अभियुक्त वैभव मणि त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा को कानपुर व गोरखपुर F-Bar By Fashion T.V की फ्रेचांयजी दिलाने हेतु पैसा लेने व बाद में वादिनी के पति का कूटरचित हस्ताक्षर कर अनुबंध पत्र तैयार कर लिया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वैभव मणि त्रिपाठी पुत्र नरेन्द्र मणि त्रिपाठी निवासी 43 रीड साहब का धर्मशाला बेतीयाहाता थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-0842/2025 धारा-319(2),318(4),338,340(2),61(2),351(3),336(3) भा0न्या0सं0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 राम सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 सुनील शर्मा थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. म0कां0 कात्यानी उपाध्याय थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर